

D

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

2018/00095

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम कनेशन खुर्द की
वर्तमान समझौदा खता नं. 80 में दायाँ का गड्ढा क्षतिग्रस्त
होने के कारण आधारा कार्ड में क्षतिग्रस्त करवा देना
क्षतिग्रस्त की क्षति क्षतिग्रस्त करवा देना उचित है
इसलिए क्षतिग्रस्त की क्षति करवा देना है

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

सुरेश सुब्बावत
पत्तिका नं. 2
जिला कार्यालय

318-019
08-05

रिपोर्ट पटवारी नं. 112 व आधारा कार्ड
के आधारा पर लगे हुए गेजट्टे

तहसीलदार
शुलियाकली, जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान लोक अदालत अभियान
'न्याय आपके द्वार-2018'
आदेश नं. 100/18 ज.फ. दिनांक 08-05-2018

इस रिपोर्ट तहसीलदार फ़ैसलाबंदी के
समझौते के खता नं. 80 में दायाँ का गड्ढा क्षतिग्रस्त
करवा दे करवा दे करवा दे करवा दे करवा दे

पाठनार्थ तहसीलदार फ़ैसलाबंदी के खता नं. 80 में दायाँ का गड्ढा क्षतिग्रस्त करवा दे करवा दे करवा दे



उपसचिव अधिकारी एवं
सहायक कमिश्नर
शुलिया कली, जिला-भीलवाड़ा

उपसचिव अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.